

ऋणकर्ता को मंजूरी पत्र

संदर्भ - Retail-00000294032-LMS

स्थान - MUKUNDWADI, AURANGABAD, MH  
दिनांक- 03-07-2020

प्रति,  
MR. BOBY KAILAS GHODE  
& MR. KAILAS BHIKANRAO GHODE  
& MRS. BABY KAILAS GHODE  
GHAR NO 776 N-2 MHADA COLONY MURTIJAPUR ,  
CIDCO COLONY AURANGABAD ,  
DHOOT HOSPITAL ,  
AURANGABAD ,  
AURANGABAD , AURANGABAD  
MAHARASHTRA - INDIA . 431001

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय : बड़ौदा दिक्चवेयाक्षा ऋण - Baroda Gyan Loan के लिए आपका रु. **10,00,000.00/-** का अनुरोध.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 19-06-2020 के संदर्भ में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि निम्न नियम व शर्तों के अधीन आपको उपरोक्त ऋण सुविधा प्रदान की गई है

उत्पाद का नाम	: बड़ौदा दिक्चवेयाक्षा ऋण
ऋण का उद्देश्य	: बिजनेस मैनेजमेंट के लिए दिक्चवेयाक्षा ऋण
विशेष योजना का नाम	: Baroda Gyan Loan
सुविधा	: Term Loan
कुल लागत	: रु. 14,68,873.00 /-
अनुरोध की गई सीमा	: रु. 10,00,000.00/-
स्वीकार्य सीमा	: रु. 10,00,000.00/-
बीमा प्रीमियम राशि	: रु. 4873/-
वास्तविक मार्जिन	: <u>31.92</u> %
	उपलब्ध ब्याज दर <b>8.85%</b> वार्षिक है, जो कि अग्रलिखित का योग है भा.रि. बैंक रेपो दर : <b>4.00 %</b> (वर्तमान में) , मार्क अप : <b>2.85 %</b> (वर्तमान में) , रणनीतिक प्रीमियम <b>0.25 %</b> (at present), क्रेडिट स्प्रेड : <b>1.75%</b> (वर्तमान में) , ब्याज का भुगतान मासिक अंतराल पर किया जाएगा. बैंक को मासिक आ धार पर ब्याज दर (उपरोक्त में से किसी भी संघटक को शामिल करते हुए) पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा.
कुल अवधि	: <u>120</u> महीने
ऋण स्थगन	: 36
समान मासिक किस्तों में चुकता किया जाना है	: 84 महीनों से Equated Monthly Installment भुगतान
(इएमआई) देय	: रु. 20,265.00/-
चुकोती आरंभ	: one month after completion of moratorium

प्रोसेसिंग शुल्क :रु. 8,850.00/-  
अपफ्रंट शुल्क :रु. 10,030.00 /-  
विचलन शुल्क :रु. 0.00 /-

:Disbursement should be made after compliance of all terms and conditions of sanction and obtaining complete set of documents, Vetting of documents. 2. Creation and registration of EQUITABLE mortgage. To inform the branch / bank in case of suspension / dismissal / postponement of attending the class by the student. c.To refund the fee etc., if any, to the branch. d.To acknowledge the aforesaid letter. 4.Branch has to disburse the loan, including proportionate margin, directly to the Educational Institute /Institute as and when demanded by the educational institution. Margin has to be brought in each quarter/semester /yearly basis as and when disbursements are made on a pro-rate basis. Subsequent disbursements will be subject to production of demand letter from the educational institution and submission of progress reports of the student at periodical intervals, showing satisfactory performance in his studies. 5. Disbursement only after submission of confirmed admission letter and VISA. 6. All the specific costs will be released to institute/supplier on specific requests of the applicants after receiving proportionate margin

संवितरण :

जोखिम रेटिंग  
आंतरिक रेटिंग स्कोर : : 178  
आंतरिक रेटिंग ग्रेड : : EL-2  
सिबिल ब्यूरो स्कोर :  
आवेदक का सिबिल ब्यूरो स्कोर :-1  
सह आवेदक का सिबिल स्कोर :754  
सह आवेदक का सिबिल स्कोर :-1  
औसत सिबिल स्कोर :0

प्रदत्त प्रतिभूतियों का विवरण :

कोलेटरल:

Immovable :

Equitable Mortgage of property located at Plot No. / Flat No / Door No/House / Nearest Door , adm. land Sq Meter , Build up Area 22.93 , Carpet Area 22.93 , which is situated at TENEMENT NO 776 SITUATED AT CTS NO 34 PART AND 35 PART , MURTIZAPURA AURANGABAD , City Aurangabad , District AURANGABAD , State/Region MAHARASHTRA , Country INDIA , PIN Code 431001 , belonging to BABY KAILAS GHODE ,

Boundary Description

East : TENEMENT NO 787  
West : 4.50 METER WIDE ROAD  
North : TENEMENT NO 775  
South : TENEMENT NO 777

Movable : NA

प्राथमिक: NA

प्रतिभूति दस्तावेज:

1. उपस्थिति पत्रक
2. ऋण मूल्यांकन नोट अंतिम
3. घोंदकुनवजयाणा सह वचन पत्र
4. एलडीओसी 1 सत्यापन ज्ञापन
5. एलडीओसी 3ए संयुक्त ऋणकर्ताओं के लिए डीपी नोट
6. एलडीओसी 57 तत्काल अदायगी ढकंचवेयार्त युक्त किस्त पत्र
7. एलडीओसी 90 ए प्रवेदकंचवेया ज्ञापन, वैयक्तिक प्रोपर्टी के मोगेज के संबध में,
8. एलडीओसी 90 सी अचल संपत्तियों के संबध में हक विलेख के जमा द्वारा बंधक सृजन संबधी घोंदकुनवजयाणा
9. एलडीओसी 90 डी बंधक पुदिकुनवजयट पत्र
10. उत्तर दिनांकित चेकों के लिए वचन पत्र
11. मंजूरी पत्र
12. स्वागत पत्र

नियम व शर्तें : :

1. जिस विद्यार्थी के लिए ऋणस्वीति किया गया है उससे इस आंदकंचवेयाय की पुदिकुनवजयट संबधी स्टांपयु ढ घोंदकुनवजयाणा पत्र ढ हलफनामा ाप्त किया जाए कि उसने किसी इसके बैंक संस्था से दिक्चवेयाक्षा ऋण नहीं लिया है और हमारे दिक्चवेयाक्षा ऋण की बकाया रहने के दौरान बैंक से अनापति माण पत्र लिए बिना किसी बैंक संस्था से दिक्चवेयाक्षा ऋण नहीं लिया जाएगा.
2. जिस विद्यार्थी के लिए ऋण मंजूरी किया गया है उससे इस आंदकंचवेयाय की पुदिकुनवजयट संबधी स्टांपयुक्त ढ घोंदकुनवजयाणा पत्र / हलफनामा प्राप्त किया जाए कि उसने किसी इसके बैंक/संस्था से दिक्चवेयाक्षा ऋण नहीं लिया है और हमारे दिक्चवेयाक्षा ऋण की बकाया रहने के दौरान बैंक से अनापति प्रमाण पत्र लिए बिना किसी बैंक संस्था से दिक्चवेयाक्षा ऋण नहीं लिया जाएगा.
3. बीमा पॉलिसी को बैंक के पक्ष में पहले प्रभार के साथ समनुदेदिक्चवेयात किया जाना चाहिए.
4. किसी भी बीमा प्रदाता अर्थात हमारी टाईदकयअप भागीदारी वाली कंपनियों के साथंदकयसाथ अन्य कंपनियों से बीमा का लाभ लिया जा सकता है.
5. भारतीय विनियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी बीमा प्रदाता यानी हमारी टाईदकयअप भागीदारी वाली कंपनियों के साथंदकयसाथ अन्य से भी बीमा पॉलिसी ली जा सकती है.
6. यह स्वीकृति की तारीख से 6 महीने के लिए वैध है.
7. अतिदेय अवधि के लिए बकाया रकम का भुगतान न करने/विलंब से करने/किसी नियम व ढकंचवेयार्त का उल्लंघन व अनुपालन न किये जाने पर 2 प्रतिदकंचवेयात वादिकुनवजयर्जाक की दर से दण्ड ब्याज की वसूली की जाएगी.
8. ऋण का संवितरण आवंदकंचवेययकता/मांग के अनुसार सीधे स्कूल/कालेज/विंदकंचवेयवविद्यालय/होस्टल /संस्था पुस्तक विक्रेता को यथासंभव चरणवार स्टेज में भुगतान किया जाएगा.
9. समान मासिक किस्तों ईएमआई का निर्धारण ऋणकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां पूरे ऋण के लिए लिया जाने वाला ब्याज ऋण की पूरी अवधि में विस्तारित होता है. ऐसी सभी समान मासिक किस्तों का भुगतान ऋण खाते की पूर्ण चुकौती/ ऋण का निपटान नहीं माना जाएगा. सभी समान मासिक किस्तों ईएमआई का भुगतान हो जाने पर खाते में अतिदेय/ दण्ड ब्याज / ब्याज दर में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त ब्याज, अन्य आकस्मिक प्रभार के नामे किए जाने के कारण ढकंचवेयोंदकुनवजया रादिक्चवेया, यदि कोई हो, का ऋण ाकर्ता द्वारा अलग से भुगतान किया जाएगा.
10. छात्र द्वारा वर्तमान वंदकुनवजयर्जा की वादिकुनवजयर्जाक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं उससे संबधित प्रगति रिपोर्ट/मार्क सीट उपलब्ध कराने के पंदकंचवेयचात ही अगले वंदकुनवजयर्जा के लिए संवितरण किया जाएगा.

11. जिस विद्यार्थी के लिए ऋण मंजूरी किया गया है उससे इस आंदकंचवेयाय की पुदिकुनवजयट संबंधी स्टांपयुक्त घाँदकुनवजयाणा पत्र / हलफनामा प्राप्त किया जाए कि उसने किसी इसके बैंक/संस्था से दिदकंचवेयाक्षा ऋण नहीं लिया है और हमारे दिदकंचवेयाक्षा ऋण की बकाया रहने के दौरान बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना किसी बैंक संस्था से दिदकंचवेयाक्षा ऋण नहीं लिया जाएगा.
12. ऋणकर्ता /ओं द्वारा ऋण प्राप्त करने के पंदकंचवेयचात प्रोसेसिंग ंदकंचवेयुल्क वापस किया जाएगा
13. नियमित अंतराल पर विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी.
14. प्रोपर्टी को सभी खतरों जैसे बाय, अग्नि, दंगा, उपद्रव, भूकंप इत्यादि के विरुद्ध पर्याप्त रूप से बीमित किया जाना होगा.
15. खाते की समीक्षा के समय ब्याज दर की वादिकुनवजर्याक आधार पर समीक्षा की जाएगी. ऋणकर्ता के ब्यूरो स्कोर तथा समीक्षा के समय लागू एक वंदकुनवजर्याय एमसीएलआर संबंधी स्प्रेड के आधार पर ब्याज को पुननिर्धारित किया जाएगा. ऋण की अवधि को ब्याज दर में बयोतरी/कमी के आधार पर ऐसे समायोजित किया जाएगा कि ऋण के पूरा चुकता होने तक ईएमआई अपरिवर्तित रहे. यह इस ंदकंचवेयार्त के अधीन होगा कि ऋण की कुल/विस्तारित अवधि, योजना संबंधी दिदकंचवेयानिर्देदकंचवेयों के तहत स्वीकार्य अधिकतम अवधि से आगे नहीं जा रही हो या ंदकंचवेयौक्षणिक ऋण दर बैंक की बीआरएलएलआर से संबद्ध है और प्रथम संवितरण की तारीख को प्रचलित दर पर प्रथम संवितरण की वादिकुनवजर्याक तिथि को, ऐसी तिथि पर लागू बीआरएलएलआर के आधार पर वादिकुनवजर्याक रूप से पुननिर्धारण के अधीन होगा. बीच की अवधि के दौरान बैंक द्वारा घाँदिकुनवजयात बीआरएलएलआर में कोई भी परिवर्तन का लागू बीआरएलएलआर पर कोई प्रभाव नहीं होगा.
16. किसी कारणवंदकंचवेया नामांकन निरस्त होने पर विद्यार्थी / ऋणकर्ता द्वारा समुचित वचन पत्र देना आवंदकंचवेययक है. इस संबंध में कॉलेज/ विंदकंचवेयवविद्यालय से किसी प्रकार के रिफंड प्राप्त होते ही इसे तत्काल बैंक के ऋण खाते में जमा कराई जाएगी और ऋण की ब्याज सहित ंदकंचवेयोंदकुनवजया रादिदकंचवेया भी पुर्नभुगतान किये जाएगा.
17. उधारकर्ता/ गारंटीकर्ता ओं को ऋण के संवितरण से पहले हमारे सूचीबद्ध एडवोकेट द्वारा स्वत्व रिपोर्ट में सूचित किए गए आवंदकंचवेययक कागज / दस्तावेज / घाँदकुनवजयाणा पत्र /रसीद / अन्य प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा.
18. हक विलेख को जमा करने के आधार पर किए गए मॉर्गेज संबंधी विवरण सेंटरल रजिस्ट्री के साथ मॉर्गेज सृजन के 30 दिनों के अंदर रजिस्टर करना होगा और इस खर्च का वहन ऋणकर्ता द्वारा किया जाएगा.
19. किसी भी तरह की चूक की अवस्था में बैंक को संपूर्ण अग्रिम को वापस लेने का अधिकार है.
20. बैंक के दिदकंचवेयानिर्देदकंचवेयों के अनुसार आवेदक की लागत पर छात्र का जीवन बीमा किया जाएगा
21. उधारकर्ता को तुरंत देय लागत जैसे विधिक राय हेतु अधिवक्ता ंदकंचवेयुल्क और प्रमाण पत्र / मूल्यांकन/ भविंदकुनवजयय में सत्यापन / परिसंपत्ति का भविंदकुनवजयय में मूल्यांकन हेतु आर्किटेक्ट/ मूल्यांकन का ंदकंचवेयुल्क, यदि कोई हो, का वहन करना होगा.
22. ंदकंचवेयाखाओं को परिपत्र संख्या बीसीसी:बीआर: 108/409 दिनांक 08/09/16 के अनुसार अनाहरित प्रतिबद्धताओं के ंदकंचवेयार्त रहित निरसन के संबंध में वचनपत्र प्राप्त करना है.
23. बैंक द्वारा निर्धारित दर पर एकीकृत प्रोसेसिंग ंदकंचवेयुल्क एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर जीएसटी ऋणकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा.
24. बैंक को यह अधिकार होगा कि अपने अधिकारी अथवा योग्य ऑडिटर या बैंक के तकनीकी विंदकंचवेयोंदकुनवजयय इज द्वारा ऋणकर्ता को संपत्ति का निरीक्षण करा सके, संबंधित प्रभार ऋणकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे.

25. ऋणकर्ता द्वारा बैंक के पक्ष में इक्विटी मॉर्गेज तैयार कराके इसे रजिस्टर्ड कराना आवंदकचवेयक है और यह सुनिदिकचवेयचत किया जाए कि बैंक द्वारा किया गया लियन संबंधित एसआरओ के साथ रजिस्टर्ड हो, साथ ही स्वीकृति के 30 दिनों के अंदर सरसाई के अंतर्गत भी इसे रजिस्टर्ड कराया जाए, जिसका व्यय ऋणकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा.
26. पुनर्भुगतान अवकांदकचवेया / अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज लगाया जाएगा
27. दकचवेयाखा को यह सुनिदिकचवेयचत करना है कि संवितरण से पहले सह आवेदकों से इस आंदकचवेयाय का ष्ट गोंदकुनवजयाणापत्र प्राप्त किया जाए कि वे आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है.
28. दकचवेयाखा को विंदकचवेयवविद्यालय / संस्थान को भुगतान किए गए अग्रिम, यदि कोई हो, का प्रमाण प्राप्त करना है.
29. दकचवेयाखा को यह सुनिदिकचवेयचत करना चाहिए कि उक्त संपत्ति का साम्यिक दृदिकुनवजयटबंधक सृजित हो एवं राजस्व/ समुचित प्राधिकारी के पास दर्ज करा दिया जाए.
30. ऋण संवितरण के उपरांत ऋण संवितरणकर्ता दकचवेयाखा स्टाफ द्वारा प्रस्तावित संपत्ति का अनिवार्य तौर पर ऋण संवितरण पूर्व निरीक्षण किया जाना चाहिए.
31. ऋण की मांग किये जाने पर दकचवेयाखा द्वारा इसे सीधे दकचवेयौक्षिक संस्थान को ही ऋण संवितरित किया जाए वंदकचवेयार्ते कि... दकचवेयौक्षिक संस्थान से प्राप्त मांग पत्र की प्रस्तुति आवधिक अंतराल पर विद्यार्थी के प्रगति पत्रक की प्रस्तुति भुगतान की अंतिम मूल रसीद एवं प्रगति पत्रक जमा करने पर ही आगामी संवितरण किया जाए
32. दकचवेयाखाओं को दकचवेयौक्षिक संस्थान द्वारा जब भी मांग की जाए समानुपातिक मार्जिन सहित ऋण का संवितरण सीधे दकचवेयौक्षिक संस्थान को करना है. जब संवितरण समानुपातिक आधार पर किया जा रहा हो तो वंदकुनवजयर्या दर वंदकुनवजयर्या आधार पर मार्जिन की व्यवस्था की जानी चाहिए. अनुवर्ती संवितरण दकचवेयौक्षिक संस्थान से मांग पत्र प्रस्तुत करने के और छात्र की आवधिक अंतराल पर, उसकी पयार्ई में संतोंदकुनवजय ाजनक निंदकुनवजयपादन प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुति के अधीन है.
33. यदि ऋणकर्ता निर्माण पूर्व अवधि के दौरान ब्याज भुगतान नहीं करता है तो संचित साधारण ब्याज को जोड़ कर निर्माण पूर्व अवधि की समाप्ति पर ईएमआई तय की जाएगी.
34. दकचवेयाखाओं को ऋण संवितरण से पहले सुनिदिकचवेयचत करना है कि उधारकर्ता द्वारा सभी दस्तावेजों का निंदकुनवजयपादन कर दिया गया है और इसे हमारे बैंक के सूचीबद्ध एडवोकेट द्वारा जांच कर लिया गया है.
35. दकचवेयाखा को आवेदन / संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियों, और फार्म सं 135 पर आवेदक / सह आवेदक/ गारंटीकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने हैं.
36. दकचवेयाखाओं को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंदकचवेययूरंस कंपनी या कोटक लाइफ इंदकचवेययूरंस कंपनी या मैक्स बूपा द्वारा आफर किए गए ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंदकचवेययूरंस योजना के अंतर्गत एकबारगी प्रीमियम रादिकचवेया भुगतान करने के द्वारा लाइफ इंदकचवेययूरंस कवर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है.
37. परिसंपत्ति के लिए साम्यिक बंधक बनाते समय, दकचवेयाखा को विंदकचवेयोंदकुनवजया सावधानी बरतनी है और यह सुनिदिकचवेयचत करना है कि उधारकर्ता द्वारा संपूर्ण पिछले स्वत्व विलेख की श्रृंखला, यदि लागू हो, के साथ मूल दस्तावेज सौंपे गए हो. कृपया यह भी सुनिदिकचवेयचत किया जाए कि उधारकर्ता द्वारा सौंपे गए मूल दस्तावेज उसी परिसंपत्ति के है, जिसके लिए बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है.
38. स्वत्व विलेख के जमा करने के द्वारा सृजित बंधक विवरणों को बंधक बनाने के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया जाना है. इस संबंध में दकचवेयाखाओं को स्वत्व विलेख को जमा करने द्वारा साम्यिक बंधक के विस्तार के पंजीकृत के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाले दिंदकचवेयानिर्देदकचवेयाओं / कार्यविधि के

संबंध में उप महाबन्धक, वसूली और विधि, बीसीसी, मुंबई द्वारा जारी परिपत्र सं बीसीसी:बीआर: 103: 100 दिनांक 27.04.2011 का संदर्भ लेना चाहिए और अपने संबंधित नोडल अधिकारी के माध्यम से हक विलेख का जमा करने के द्वारा सृजित बंधक के संबंध में टांजेवंदकचवेयान की प्रति सुनिदिकचवेयचत करें.

39. दकचवेयाखा को स्वीकृति के सभी नियम और दकचवेयातों के साथ साथ इस संबंध में समय समय पर जारी प्रदकचवेयासनिक दिंदकचवेयानिर्देदकचवेयाओं का और स्वीकृति प्राधिकारी की टिप्पणियों का अनुपालन करना है.
40. यदि आवेदक के माध्यम से एनओसी/ग्रहणाधिकार नोट करने की पुदिकुनवजयट प्राप्त हो तो दकचवेयाखा द्वारा सोसाइटी/रजिस्टार /भू. राजस्व रेकार्ड को इस आंदकचवेयाय का पंजीकृत पावती युक्त पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें उनके द्वारा एनओसी तथा हमारे ग्रहणाधिकार को नोट करने की पुदिकुनवजयट दकचवेयाीघ करने का अनुरोध हो.
41. दकचवेयाखा द्वारा वकील की रिपोर्ट में दिए गए निर्देदकचवेयाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए और संवितरण I से पूर्व रिपोर्ट के अनुसार सभी दस्तावेजों को एकत्र किया जाए.
42. ऋण का संवितरण करते समय संवितरणकर्ता द्वारा प्रवेदकचवेया हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय/विदिकचवेयवद्यालय को फीस के भुगतान स्वरूप डीडी के साथ एक पत्र भी भेजा जाना चाहिए जिसमें छात्रा को दिदकचवेयाक्षा ऋण की मंजूरी की सूचना दी गई हो. इसके द्वारा महाविद्यालय/विंदकचवेयवविद्यालय प्राधिकारियों को किसी कारण से प्रवेदकचवेया के निरस्त होने तथा ऐसे मामलों में फीस सीधे बैंक को वापस करने के संबंध में सूचित करें.
43. दकचवेयाखाओं को परिपत्र संख्या:बीसीसी:बीआर:108/430 दिनांक 01.10.2016 में सूचित किए गए अनुसार रिटेल ऋण के लिए ईसीएस मैनडेट के अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में सीटीएस:2010 मानक प्रारूप में कुछ उत्तर दिनांकित चेक प्राप्त करने होंगे.
44. दकचवेयाखा द्वारा संवितरण से पूर्व एडवोकेट से पूरक हक रिपोर्ट प्राप्त की जाए जिसमें यह दंदकचवेयाया जाए कि हक विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गई है तथा यह भी पुदिकुनवजयट करे कि बैंक के पास जमा की जाने वाली मूल हक विलेख की प्रमाणिकता की पुदिकुनवजयट कर ली गई है.
45. ऋण का संवितरण बैंक की संतुदिकुनवजयट के अनुरूप सभी नियम व दकचवेयातों का पालन करने पर ही किया जाएगा.
46. निधियों, फंड का अंतिम उपयोग सुनिदिकचवेयचत किया जाना चाहिए और घर में स्वयं का निवास होना चाहिए.
47. ऋणकर्ता / सह ऋणकर्ता बैंक के लिए की मास्टर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पलिसी के अंतर्गत यूनाइटेड इंदकचवेयय रेंस कंपनी द्वारा वैयक्तिक दुर्घटना बीमा उपलब्ध रहेगा. तथापि आग एवं अन्य आपदाओं के लिये संपत्ति का बीमा बैंक के नियमानुसार कराया जाएगा जिसकी पूरी रादिकचवेया ऋणकर्ता द्वारा वहन की जाएगी.
48. जिस विद्यार्थी के लिए ऋण मंजूरी किया गया है उससे इस आंदकचवेयाय की पुदिकुनवजयट संबंधी स्टांपयुक्त द गोंदकुनवजयाणा पत्र / हलफनामा प्राप्त किया जाए कि उसने किसी इसके बैंक/संस्था से दिदकचवेयाक्षा ऋण नहीं लिया है और हमारे दिदकचवेयाक्षा ऋण की बकाया रहने के दौरान बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना किसी बैंक संस्था से दिदकचवेयाक्षा ऋण नहीं लिया जाएगा.
49. ब्याज दर बैंक के एक वंदकुकुनवजयर्थाय एमसीएलआर से लिंक होता है. संवितरण की तिथि पर विद्यमान एमसीए लआर अगले रिसेट तारीख अर्थात एक वंदकुकुनवजयर्ता बाद तक लागू रहेगा जो कि अंतरिम अवधि के दौरान एमसीए लआर में हुए परिवर्तनों से अप्रभावित रहेगा.
50. खाते की समीक्षा के समय ब्याज दर की वादिकुकुनवजयर्थाय आधार पर समीक्षा की जाएगी. ऋणकर्ता के ब्यूरो स्कोर तथा समीक्षा के समय लागू एक वंदकुकुनवजयर्थाय एमसीएलआर संबंधी स्प्रेड के आधार पर ब्याज को पुननिर्धारित किया जाएगा. ऋण की अवधि को ब्याज दर में बयोंतरी/कमी के आधार पर ऐसे समायोजित किया जाएगा कि ऋण I के पूरा चुकता होने तक ईएमआई अपरिवर्तित रहे. यह इस दकचवेयात के अधीन होगा कि ऋण की कुल/विस्तारित अवधि, योजना संबंधी दिंदकचवेयानिर्देदकचवेयाओं के तहत स्वीकार्य अधिकतम अवधि से आगे नहीं जा रही हो या दकचवेयाीक्षणीक ऋण दर बैंक की बीआरएलएलआर से संबद्ध है और प्रथम संवितरण की तारीख को प्रचलित दर पर प्रथम संवितरण की वादिकुकुनवजयर्थाय तिथि को, ऐसी तिथि पर लागू बीआरएलएलआर के आ

धार पर वादिकुनवजर्याक रूप से पुननिर्धारण के अधीन होगा. बीच की अवधि के दौरान बैंक द्वारा घोदिकुनवजयात बीआरएलएलआर में कोई भी परिवर्तन का लागू बीआरएलएलआर पर कोई प्रभाव नहीं होगा.



## LETTER OF SANCTION TO THE BORROWER

**Ref: ADV/** Retail-00000294032-LMS

**Place:** MUKUNDWADI, AURANGABAD, MH

**Date:** 03-07-2020

To,  
MR. BOBY KAILAS GHODE  
& MR. KAILAS BHIKANRAO GHODE  
& MRS. BABY KAILAS GHODE  
GHAR NO 776 N-2 MHADA COLONY MURTIJAPUR ,  
CIDCO COLONY AURANGABAD ,  
DHOOT HOSPITAL ,  
AURANGABAD ,  
AURANGABAD , AURANGABAD  
MAHARASHTRA - INDIA . 431001

Dear Sir / Madam,

**RE:** Your request for Baroda Education Loan - Baroda Gyan Loan of Rs. **10,00,000.00/-**

With reference to your application dated 19-06-2020, we are pleased to inform you that we have sanctioned you the above credit facility, on the terms and conditions as under:

### TERMS AND CONDITIONS:

NAME OF PRODUCT	:Baroda Education Loan
PURPOSE OF LOAN	:@EDU LOAN FOR BUSINESS MANAGEMENT
NAME OF THE SPECIFIC SCHEME	:Baroda Gyan Loan
FACILITY	:Term Loan
TOTAL COST	: Rs. 14,68,873.00 /-
LIMIT REQUESTED	:Rs. 10,00,000.00/-
PERMISSIBLE LIMIT	:Rs. 10,00,000.00/-
INSURANCE PREMIUM AMOUNT	:Rs.4873/-
ACTUAL MARGIN :	<u>31.92 %</u>
	Applicable Rate of Interest is <b>8.85%</b> , per annum , which is a sum of RBI Repo Rate : <b>4.00 %</b> (at present), Mark Up of : <b>2.85 %</b> (at present), Strategic Premium <b>0.25 %</b> (at present), Credit spread of <b>1.75%</b> (at present) , The Interest shall be payable at monthly rests. The Bank shall be entitled to reset the Interest rate (including any of its components mentioned above) on monthly basis.
RATE OF INTEREST	
TOTAL PERIOD	: <u>120</u> months
MORATORIUM	:36
REPAYBLE IN	:84 months by Equated Monthly Installment Payment
EMI	:Rs. 20,265.00/-
COMMENCING FROM	: one month after completion of moratorium
PROCESSING CHARGES	: Rs. 8,850.00/-
UPFRONT CHARGES	:Rs. 10,030.00 /-



**DEVIATION CHARGES**

:Rs. 0.00 /-

:Disbursement should be made after compliance of all terms and conditions of sanction and obtaining complete set of documents, Vetting of documents. 2. Creation and registration of EQUITABLE mortgage. To inform the branch / bank in case of suspension / dismissal / postponement of attending the class by the student. c.To refund the fee etc., if any, to the branch. d.To acknowledge the aforesaid letter. 4.Branch has to disburse the loan, including proportionate margin, directly to the Educational Institute /Institute as and when demanded by the educational institution. Margin has to be brought in each quarter/semester /yearly basis as and when disbursements are made on a pro-rate basis. Subsequent disbursements will be subject to production of demand letter from the educational institution and submission of progress reports of the student at periodical intervals, showing satisfactory performance in his studies. 5. Disbursement only after submission of confirmed admission letter and VISA. 6. All the specific costs will be released to institute/supplier on specific requests of the applicants after receiving proportionate margin

**DISBURSEMENT****RISK RATING**

INTERNAL RATING SCORE : 178

INTERNAL RATING GRADE : EL-2

**CIBIL BUREAU SCORES:**

CIBIL BUREAU SCORE OF APPLICANT :-1

CIBIL BUREAU SCORE OF COAPPLICANT :754

CIBIL BUREAU SCORE OF COAPPLICANT :-1

AVERAGE CIBIL SCORE :0

**Details of Securities offered:**

Collateral :

Immovable :

Equitable Mortgage of property located at Plot No. / Flat No / Door No/House / Nearest Door , adm. land Sq Meter , Build up Area 22.93 , Carpet Area 22.93 , which is situated at TENEMENT NO 776 SITUATED AT CTS NO 34 PART AND 35 PART , MURTIZAPURA AURANGABAD , City Aurangabad , District AURANGABAD , State/Region MAHARASHTRA , Country INDIA , PIN Code 431001 , belonging to BABY KAILAS GHODE ,

**Boundary Description**

East : TENEMENT NO 787

West : 4.50 METER WIDE ROAD

North : TENEMENT NO 775

South : TENEMENT NO 777

Movable : NA

**PRIMARY :NA****SECURITY DOCUMENTS:**

1. Attendance Sheet
2. Credit Appraisal Note Final
3. Declaration\_Cum\_Undertaking
4. EL\_Assignment\_of\_future\_income\_Education\_Loan
5. EL\_Declaration\_Not\_to\_avial\_Loan\_from\_other\_Bank
6. LDOC 1 Attestation Memo
7. LDOC 3a DP Note for Joint borrowers
8. LDOC 57 Letter of instalment with accelaration clause
9. LDOC 90 (A) Memorandum of Entry (in case of mortgage of Individuals Property)
10. LDOC 90 (C) Declaration in the matter of mortgage by deposit of title deeds in respect of immovables
11. LDOC 90 (D) Letter of confirmation of mortgage
12. LETTER OF UNDERTAKING for Post Dated Cheques
13. Sanction Letter
14. Welcome Letter

**Terms &Conditions :**

1. Insurance (sum assured) should cover atleast 100% of Banks loan outstanding at all times.
2. Insurance policy should be duly assigned in favour if Bank with Banks first charge.
3. Insurance may be availed from any insurance provider ie our tie-up partenered companies as well as other companies.
4. Insurance policy may be availed from any IRDA approved insurance provider ie our tie-up partenered companies as well as others.
5. This sanction is valid for six months only.
6. PeYl interest @ 2% p.a. will be charged for non-payment / delayed payment on overdue amount for overdue period.
7. Loan will be disbursed in stages as per the requirement / demand directly to the school / college / University/hostel/ Institution / Book Seller to the extent possible.
8. Equated monthly instalments are fixed for the convenience of the BORROWER, whereby interest payable towards the loan is spread over the entire term of repayment fixed. The repayment of all such equated monthly instalment will not be construed as full repayment /settlement of loan account. On payment of all equated monthly instalments, residual amount if any, in the account due to debiting of overdue / peYl interest / additioYl interest as a consequence of revision in interest rates, other incidental charges shall be paid separately by the BORROWER.
9. Next year disbursement to be made only after student has passed the current year annual examiYtion and; progress report / mark list to that effect is produced.
10. BORROWER to give a stamped declaration / affidavit confirming that no EducatioYl loan is availed from other Bank / institutions for the student for whom loan is sanctioned and shall not avail educatioYl loan from any other bank without obtaining NOC from our Bank during the pendency of our educatioYl loan.
11. Processing Charges will be refunded after availment of loan by the BORROWER/s.
12. Progress report of the student to be submitted at regular interval.

13. The property to be kept insured adequately covering all perils viz. Flood, Fire, Riot, Civil Commotion, Earthquake etc and the cost thereof to be borne by the BORROWERS
14. The Rate of Interest will be reviewed annually at the time of review of the account. The Rate of Interest will be revised based on the Bureau score of the BORROWER and the applicable spread over BRLLR in force at the time of review. Period of loan will be adjusted as per increase/decrease in rate of interest, keeping EMIs at fixed level till full repayment subject to the condition that total /extended tenure of the Loan does not go beyond the maximum period permissible under the scheme as per guidelines. OR Education loan rate is linked to BRLLR of the bank and prevailing on the date of the first disbursement subject to reset annually on the anniversary date of first disbursement , based on BRLLR prevailing on such date. Any change in the BRLLR announced by bank during the intervening period shall have no effect on applicable BRLLR.
15. Student/BORROWERS to give suitable undertaking that in case of cancellation of admission for any reason, the refund amount received, if any by them, from college/university will be immediately deposited for credit of loan account with the Bank and balance amount of loan with interest will also be repaid.
16. The BORROWER/guarantor (s) to comply with all formalities of obtaining the necessary papers /documents /undertakings / receipts/others as advised by our empanelled advocate in his title report before disbursement of loan.
17. Particulars of mortgages created by way of deposit of title deeds are to be registered with the Central Registry within 30 days from the date of creation of mortgage and the cost thereof to be borne by the BORROWER.
18. Bank reserves the right to recall the entire advance in case of any type of default.
19. Life of student to be insured as per Banks guidelines at the cost of applicant.
20. BORROWER to bear the out of pocket expenses like advocateandapos;s fee for legal opinion and Architectandapos;s / Valuerandapos;s fee for certificate /valuation/future verification/future valuation of the property, if any.
21. The unified processing charges at the rate prescribed by the Bank and Service Tax and Education - Cess thereon as prescribed by Government of India will be borne by the BORROWER .
22. The Bank will have the right to inspect, at all the reasoYlble times, the BORROWERandapos;s property by an officer of the Bank or a qualified auditor or a technical expert as decided by the Bank and the charges thereof will be borne by the BORROWER.
23. BORROWER to create and register Equitable Mortgage by deposit of title deeds in favour of our Bank and ensure that Bankandapos;s Lien there under is registered with concerned SRO and also under CERSAI; bearing the charges incurred there for.
24. Simple interest will be charged during repayment holidays / moratorium period.
25. Disbursement of loan will be made on fulfilment of terms and conditions to Bankandapos;s satisfaction.
26. End use of the funds be ensured and house should be self-occupied.
27. PersoYl Accidental Insurance will be available to BORROWERS/co-BORROWERS as per Master Group PersoYl Accident Policy obtained by Bank from United India Insurance Company Ltd.

28. Stamped declaration / affidavit confirming that no educational loan is availed from other bank / institutions for the student for whom loan is sanctioned and shall not avail educational loan from any other bank without obtaining NOC from our bank during the pendency of our educational loan
29. Rate of interest is linked to RBI Repo. The RBI Repo rate prevailing on the date of disbursement will be applicable till the next reset date. Interest shall be reset every month. Any change in the RBI Repo Rate during a month will take effect from the beginning of the following month.
30. The Rate of interest will be reviewed annually at the time of review of the account. The rate of interest will be revised based on the Bureau score of the borrower and the applicable RBI Repo Rate at the time of review. Period of loan will be adjusted as per increase/decrease in rate of interest, keeping EMIs at fixed level till full repayment subject to the condition that total/extended tenure of the loan does not go beyond the maximum period permissible under the scheme as per guidelines.

यह सुविधा आपको वार्षिक समीक्षा के अधीन 120 माह की अवधि के लिये प्रदान की गई है. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह इस सुविधा को वापस ले ले अथवा अपने नियम व शर्तों में कभी भी परिवर्तन कर सके. बैंक को यह भी अधिकार होगा कि किसी नियम व शर्तों का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने, कोई सूचना/विवरण के गलत पाये जाने अथवा ऐसे स्थिति के उभरने जिसमें बैंक की राय में ऋण/ सुविधा को जारी रखना बैंक के हितों के विरुद्ध होगा, बैंक द्वारा बिना कोई कारण बताए सुविधा/ऋण को बंद करने का अधिकार होगा.

The facility is granted to you for a period of 120 months, subject to annual renewal, the Bank reserves the right to recall the facility or alter the terms and conditions at any time, during the currency of the facility. Bank also reserves the right to discontinue the facility/advance and to with-hold/stop any disbursement, without giving any notice in case of non-compliance/breach of any of the terms and conditions stipulated herein, or any informations / particulars furnished to us found to be incorrect or in case of any development or situations wherein in the opinion of the Bank, its interest will be/ is likely to be prejudicially affected by such continuation or disbursements.

यदि आपको उपर्युक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं तो कृपया इस पत्र पर इस आशय के अपने हस्ताक्षर के बाद इसे हमें वापस कर दें कि आपको इस स्वीकृति के सभी नियम व शर्त स्वीकार्य है.

If the above terms and conditions are acceptable to you, kindly arrange to return a copy of this letter duly signed, for having found acceptable/accepted the terms and conditions of sanction

भवदीय  
Yours faithfully,

शाखा प्रबंधक  
Branch Manager

स्वीकार किया गया  
Accepted

( MR. BOBY KAILAS GHODE )  
ऋणकर्ता /Borrower

स्थान Place  
दिनांक Date

( MR. KAILAS BHIKANRAO GHODE )  
सहऋणकर्ता /Co-Borrower  
( MRS. BABY KAILAS GHODE )  
सहऋणकर्ता /Co-Borrower